काले धन की मात्रा

1503. श्री नागमणि: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हमारे देश में काले धन की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो सी॰बी॰डी॰टी॰, भारतीय रिज़र्व बैंक और प्रवर्तन निदेशालय के बीच सहयोग और समन्वय की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काला धन मौजूद होने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार काले धन पर अंकुश लगाने और काले धन को विभिन्न तरीकों से सफेद धन में बदलने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने भारतीय अर्थ व्यवस्था में उत्पन्न हुए काले धन का अनुमान लगाने के बारे में एक अध्ययन किया। उक्त अध्ययन "भारत में काले धन के पहलू" (आस्पेक्टस आफ ब्लैक मनी इन इंडिया) शीर्षक के अंतर्गत मार्च, 1985 में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन में वर्ष 1983-84 में काले धन का अनुमान 31584 करोड़ रु॰ से 36786 करोड़ रु॰ के बीच लगाया गया था। उक्त अनुमान अनेक कल्पनाओं और पूर्वानुमानों पर आधारित था। उसके बाद इस संबंध में कोई भी प्रामाणिक अध्ययन किया हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) विभिन्न प्रवर्त्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं और वह पारस्परिक हित के मामलों पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) अर्थव्यवस्था में काले धन की उत्पत्ति से संबंधित कारणों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट में पता किए गए कारणों में अन्य के साथ-साथ कुछ कारण यह हैं—कराधान संरचना, आर्थिक नियंत्रणों की जटिलता, सरकारी व्यय में वृद्धि, मुद्रास्फीति और कर अपवंचन के विरुद्ध कमजोर निवारक उपाय। उपर्युक्त कारण केवल अकेले ही नहीं बल्कि सम्मिलित रूप में कार्य करते हैं।

(ङ) सरकार, काले धन की रोकथाम करने और काले धन को बैंक धन में परिवर्तित करने के विभिन्न तरीकों को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी, आर्थिक और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान की दर में उत्तरोत्तर कमी की गई है तथा कर कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। इसी प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक उपबंध निहित हैं, जिनका उद्देश्य उक्त समानान्तर अर्थ व्यवस्था में कमी लाना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44-क क और 44-क ख के अन्तर्गत उचित मामलों में लेखों का अनिवार्य रूप से रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा, धारा 40-क(3), 269 ध ध और 269-न के अन्तर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय XX-ग के अन्तर्गत सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद से संबंधित उपबंध और कर चूककर्ताओं को दंडित करने के लिए अर्थ दंड और अभियोजन से संबंधित उपबंध शामिल है। अधिनियम में कर अपवचन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, तलाशी और अन्य जांच संबंधी कार्यवाहियां करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए छोटे कारोबारी व्यक्तियों के लिए कराधान की आनुमानिक स्कीम, छोटे-छोटे ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों के मामले में अनुमानित आधार पर आय की संगणना करने का सरलीकृत तरीका, अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध रियायत को सरल बनाना और 1,20,000 रुपये से कम आय रखने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर विवरणी फार्म लागू करना आदि जैसे अनेक नए उपाय किए गए हैं।

Outstanding dues of Atomic Power Corporation against SEBs.

1504. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether huge amount pertaining to Atomic Power Corporation is outstanding against a number of electricity boards;

(b) if so, what are the State-wise details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to recover this outstanding amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) A sum of Rs. 879.82 crores is due to the Nuclear Power Corporation of India Ltd.; from State Electricity Boards as on October 31, 1995, the details of which are given in the